

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Writ Petition No. 370/2026

Krishan Kumar Sharma Son Of Late Shri Bhagwan Sahay
Sharma, Aged About 76 Years, R/o Nearby Anand Sharma Girls
School, Lalsot Road Dausa

-----Petitioner

Versus

1. M/s Pingoliya India Oil Company Lawan, Tehsil-Dausa And
District Dausa Rajasthan Through Its Proprietor Mandan
Lal Pingoliya
2. Madanlal Pingoliya Son Of Salagram Pingoliya, R/o
Raigaron Ka Mohalla, Tehsil- Dausa And District Dausa
Rajasthan Presently Resident Of District Jail Dausa

-----Respondents

For Petitioner(s) : Mr. Gaurav Sharma, Adv.

For Respondent(s) :

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Order

29/04/2026

विद्वान अधिवक्ता याची-परिवादी का निवेदन है कि उनका परिवाद पर अभियुक्त को धारा 138 एन.आई. एक्ट के अपराध में दोषसिद्ध करार दिया गया है। यद्यपि अभियुक्त द्वारा कारावास की सजा भुगत ली गई है, लेकिन अर्थदण्ड की राशि वसूली हेतु प्रकरण संख्या-132/2019 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई. प्रकरण), जिला-दौसा में वर्ष 2019 से लंबित है और उसमें अभी तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हो रही है, अतः निर्धारित अवधि में प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निर्देश दिये जाने का निवेदन किया।

कार्यालय का यह आक्षेप रहा है कि इस प्रकार का अनुतोष पूर्व में भी याची द्वारा चाहा गया था लेकिन वह अस्वीकार किया गया था।

पूर्व में पारित आदेश दिनांक 01.04.2022 के उपरांत करीब 4 वर्ष की अवधि व्यतीत हो चुकी है, अतः बदली हुई परिस्थितियों में नवीन याचिका पोषणीय है, कार्यालय द्वारा इंगित आक्षेप वेव किये जाते हैं।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा High Court Bar Association Allahabad Vs. The State of Uttar Pradesh (2024) 6 SCC 267 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि विचारण को पूर्ण करने हेतु अथवा प्रकरण को निस्तारित किये जाने हेतु सामान्य रूप से निश्चित अवधि तय किया जाना अनुज्ञेय नहीं है, ऐसी स्थिति में निश्चित अवधि में प्रकरण के निस्तारण का निर्देश दिया जाना उचित नहीं है, परंतु परिवादी वरिष्ठ नागरिक है तथा उसका प्रकरण पिछले 7 वर्षों से लंबित है, अतः विचारण न्यायालय को यह आदेश दिया जाता है कि अन्य प्रकरणों के साथ-साथ इस प्रकरण को भी यथोचित प्राथमिकता देते हुए प्रकरण का शीघ्र निस्तारण किया जावे।

कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को अविलम्ब प्रेषित की जावे।

इसी अनुसार यह याचिका निस्तारित की जाती है तथा संलग्न स्थगन आवेदन भी उक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(UMA SHANKER VYAS),J